संख्या-6/1158/35-3-2014-1(18)-2014

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव ।
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

जिलाधिकारी,
बहराइच ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 22 दिसम्बर, 2014

विषय: शासनादेश संख्या- 895/35-3-2014-1(18)-2014 दिनांक: 13 नवम्बर, 2014 में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 612/बी0ए0डी0पी0/2014-15, दिनांक 28 नवम्बर, 2014 में प्राप्त सूचना के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 895/ 35-3-2014-1(18)-2014 दिनांक:13 नवम्बर, 2014 में अंकित शर्तो में बिन्दु संख्या **15-निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होंगे** पढ़ा जायेगा ।

2- शासनादेश संख्या- 895/35-3-2014-1(18)-2014 दिनांक: 13 नवम्बर, 2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जायें।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या– 6/1158 (1)/35-3-2014-1(18)-2014

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग/ पंचायतराज विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल ।
4- महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबादा, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद ।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, बहराइच ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 ।
9- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटन मण्डल ।
10- अर्थ एवं संख्याधिकारी, बहराइच ।
11- राज्य योजना आयेाग-1 ।
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in